

प्रेषक,

प्रवीण कुमार त्यागी (ID-6388)

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट

फर्लखावाद

सेवा में,

श्रीमान महानिबन्धक

माननीय उच्च न्यायालय,

इलाहाबाद

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश

फर्लखावाद

विषय- वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि वर्ष 2020-21 के उन्नयन (अपग्रेडेशन) के सम्बन्ध में।

महोदय,

संसम्मान निवेदन करना है कि मैं वर्तमान में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्लखावाद के पद पर कार्यरत हूं। दिनांक 01-04-20 से दिनांक 31-03-21 के कार्यों के सम्बन्ध में वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि सम्बन्धी जानकारी माननीय उच्च न्यायालय की बेबसाइट ई-सर्विसेस पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुयी है।

महोदय श्रीमान जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा जज रमाल केसिस कोर्ट कानपुर नगर के पद पर कार्यकाल के दौरान वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के सम्बन्ध में अंकित किये गये तथ्यों के सम्बन्ध में निम्नलिखित याचना करता हूं।

1- यह कि वर्ष 2020-21 की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में माननीय जनपद न्यायाधीश कानपुर नगर द्वारा सभी कालमों में Good अंकित करते हुए ओवर आल असिसमेन्ट में भी Good प्रविष्टि दी गयी है।

2- यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय कानपुर नगर द्वारा मेरी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे अंकित करते हुए रिमार्क कालम 01(e)(iii) में यह अंकित किया है कि मुझ पीठासीन अधिकारी ने एक मूल वाद वर्ष 2016, एक निष्पादन वाद वर्ष 1993, एक वर्ष 1996, एक वर्ष 1999, एक वर्ष 2003, एक वर्ष 2009, एक वर्ष 2014, दो वर्ष 2016, एक एससीसी वाद वर्ष 2008, एक वर्ष 2011, एक वर्ष 2012, एक वर्ष 2014, एक वर्ष 2016, एक रेन्ट केस वर्ष 2011, एक वर्ष 2015, दो वर्ष 2016, एक रेन्ट प्रकीर्ण केस वर्ष 1993 निर्णीत किये गये हैं।

3- यह कि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय कानपुर नगर द्वारा मेरी सत्यनिष्ठा सन्देह से परे अंकित करते हुए रिमार्क कालम 01(e)(iv) में यह अंकित किया गया है कि 20 निष्पादन वाद पूर्ण सन्तुष्टि में तथा 09 निष्पादन वाद अन्य प्रकार से निस्तारित किये गये हैं। उल्लेखनीय है कि मेरे द्वारा पूर्ण सन्तुष्टि पर निष्पादन वादों का निस्तारण 04 जनवरी से 31 मार्च 2021 के मध्य मात्र तीन माह से कम समय में किया गया है।

~Niyogi~
12/2/21

4- यह कि मेरे द्वारा पांच वर्ष से प्राचीन 69 वाद तथा दस वर्ष से प्राचीन 31 वादों का निस्तारण किया गया है तथा गुणदोष के आधार पर कुल 36 वाद निस्तारित किये गये हैं।

5- यह कि दिनांक 22 मार्च 2020 से कोविड-19 के फलस्वरूप लाकडाउन रहा तथा न्यायालयों में न्यायिक कार्य नहीं हुआ तथा दिनांक 04-01-21 से न्यायालयों में विधिवत कार्य प्रारम्भ हुआ है। इसप्रकार पूरे निर्धारण वर्ष में केवल लगभग तीन माह ही सुचारू रूप से न्यायिक कार्य किया जा सका है।

6- यह कि मेरे द्वारा पूरी निष्ठा व लगन के साथ कोविड-19 महामारी के उपरान्त न्यायालय खुलने पर विपरीत परिस्थिति में अत्यन्त रुचि लेकर मेहनत से कार्य कर वादों का निस्तारण किया गया है।

7- यह कि वर्ष 2020-21 में मेरे द्वारा कोविड-19 के फलस्वरूप न्यायालय का न्यायिक कार्य विपरीत रूप से प्रभावित होने के बावजूद भी मेरे द्वारा कार्य दिवसों के सापेक्ष आवश्यक 491.52 यूनिट से अधिक 1316.10 यूनिट का कार्य किया गया है जो 824.58 यूनिट निर्धारित मानक से अधिक है। इसके साथ ही मानक प्रतिशत 120% के स्थान पर 268% कार्य किया गया है।

8- यह कि मेरे द्वारा प्रभारी अधिकारी, दूरभाष का भी कार्य पूर्ण निष्ठापूर्वक किया गया है तथा बीएसएनएल के अधिकारीगण से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर वर्ष 2019 में नव नियुक्त न्यायिक अधिकारीगण के आंनलाइन प्रशिक्षण कार्य तथा दिनांक 22-11-20 को आयोजित तृतीय चक्र की वलस्टर रीजनल कांफ्रेन्स में इंटरनेट सम्बन्धी किसीप्रकार की कोई असुविधा उत्पन्न नहीं होने दी।

9- यह कि मेरे द्वारा दिनांक 22-11-20 को आयोजित तृतीय चक्र की वलस्टर रीजनल कांफ्रेन्स में सहभागिता की गयी है।

10- यह कि यद्यपि श्रीमान जनपद न्यायाधीश महोदय ने वार्षिक प्रविष्ट के सभी कालमों में Good लिखा है, जो यद्यपि संतोषजनक है परन्तु माननीय न्यायालय से विनम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि मेरे कार्य व वादों के निस्तारण तथा कोविड-19 में न्यायालय कार्य प्रभावित होने को दृष्टिगत रखते हुए गुड प्रविष्ट को उन्नयन (अपग्रेडेशन) किया जा सके तो मेरा मनोबल बढ़ेगा और भविष्य में पूर्ण मनोयोग व समर्पण भाव, मेहनत व निष्ठा से उत्कृष्ट कार्य करने की प्रेरणा मिलेगी।

अतः माननीय महोदय से प्रार्थना है कि मेरा प्रत्यावेदन माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष सहानुभूति पूर्वक विचारार्थ रखने की महती कृपा करें। मैं माननीय महोदय का सदैव आभारी रहूँगा।

सम्मान सहित,

राम-2756/I दिनांक- 02-12-2021
संसदार्थक
वलस्टर न्यायाधीश
02-12-2021

दिनांक 02-12-21

भवदीय,
3-12-2021
(प्रवीण कुमार ल्यागी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
फर्लखावाद ID-6388